लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनाँक : 26 मार्च 2015 को सम्पन्नं हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1- डॉ0 एस0बी0 निमसे — कुलपति/अध्यक्ष
2- प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी — सदस्य
3- संकायाध्यक्ष, आयुर्वेद संकाय — सदस्य
4- प्रो0 रश्मि पाण्डेय — सदस्य
5- प्रो0 काली चरण सनेही — सदस्य
6- प्रो0 यू0डी0 मिश्रा — सदस्य
7- डॉ0 रीता — सदस्य
8- डॉ0 बी0डी0 सिंह — सदस्य
9- डॉ0 मो0 सिजुद्दीन — सदस्य
10-डॉ0 यू0एन0 सिन्हा — सदस्य
11-डॉ0 एस0ए0 रिज़वी — सदस्य
12-डॉ0 शशि कनौजिया — सदस्य
13-डॉ0 शशि लता सिंह — सदस्य
14-डॉ0 धरम कौर — सदस्य
15-श्री अनिल कुमार सिंह — सदस्य
16-श्री डी0पी0 चौधरी — सदस्य
17-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी — सदस्य
18-सूश्री परवीन तलहा — सदस्य

बैठक में प्रो0 अरविन्द कुमार, वित्त अधिकारी भी उपस्थित थे।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

माननीय कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। कार्य परिषद में नवागत माननीय सदस्य प्रो0 अखिलेश कुमार गर्ग, संकायाध्यक्ष, आयुर्वेद संकाय, डॉ0 शशि कनौजिया, शारीरिक शिक्षा विभाग एवं डॉ0 धरम कौर, प्रधानाचार्य, विद्यान्त हिन्दू पी0जी0 कॉलेज का स्वागत किया। कार्य परिषद की बैठकों में प्रो0 निरूपमा अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, डॉ0 बबिता जयसवाल, पुस्तकालय विज्ञान विभाग तथा डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्रधानाचार्य, नेशनल पी0जी0 कॉलेज द्वारा समय–समय पर प्रदत्त मार्गदर्शन के लिए कुलपति महोदय ने आभार व्यक्त किया।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों को लखनऊ विश्वविद्यालय के Vision Documents 2025 के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसपर समस्त माननीय सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त माननीय कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी, माननीय कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद में लिए गये समस्त बिन्दुओं को पूरक कार्यसूची के रूप में संशोधित करते हुए पढ़ा गया।

तदोपरान्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वार्षिक बजट सत्र 2015 – 16 पर विस्तृत चर्चा की गयी चर्चोपरान्त वित्त अधिकारी महोदय द्वारा बजट का संक्षिप्त विवरण समस्त माननीय सदस्यों को पढ़ कर सुनाया गया जिसपर वित्त अधिकारी महोदय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की आय में बढ़ोत्तरी के संसाधन से परिषद को अवगत कराया, जिसपर परिषद द्वारा आंशिक संशोधन के साथ बजट पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के विभिन्न मदों में प्रस्तावित शुल्क वृद्धि में निम्न संशोधन किये गयेः–

क्र0 सं0	प्रस्तावित	वित्त समिति से अनुमोदित	कार्य परिषद द्वारा संशोधनोपरान्त अनुमोदित
1.	स्नातक स्तर पर विकास शुल्क :– रु0 1,200/– प्रतिवर्ष	वित्त समिति द्वारा 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ स्नातक स्तर पर ली जाने वाली विकास शुल्क पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	स्नातक स्तर पर ली जाने वाली विकास शुल्क रु0 600/– प्रतिवर्ष से रु0 900/– प्रतिवर्ष पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2.	परास्नातक स्तर पर विकास शुल्क :– रु0 600/– प्रतिसेमेस्टर	वित्त समिति द्वारा 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ परास्नातक स्तर पर ली जाने वाली विकास शुल्क पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	परास्नातक स्तर पर ली जाने वाली विकास शुल्क रु0 300/– प्रति सेमेस्टर से रु0 500/– प्रति सेमेस्टर पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
3.	परीक्षा शुल्क में बी0ए0 में रु0 2,400/– प्रतिवर्ष बी0एस0सी0 में रु0 3,600/– प्रतिवर्ष बी0कॉम0 में रु0 3,000/– प्रतिवर्ष और एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0 (डिप्लोमा) रुपये 1800/– प्रति सेमेस्टर	वित्त समिति द्वारा 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।	परीक्षा शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

4.	नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय एक बार लिया जाने वाला शुल्क) रु0 1000/–	वित्त समिति द्वारा 33 प्रतिशत वृद्धि के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।	नामांकन शुल्क में 750 से 1000 रुपये वृद्धि के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।
5.	विविध शुल्क – यथा डुप्लीकेट रसीद, ब्रेकेज, शीघ्र परिणाम, विलम्ब शुल्क, अंक पत्र, प्रमाण शुल्क इत्यादि।	वित्त समिति द्वारा शत–प्रतिशत वृद्धि के साथ अनुमोदित।	कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुति को यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24.03.2015 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर अंकित लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत अनानुमोदित/अनुमोदित कर्मचारियों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई चर्चा के उपरान्त निम्न संशोधन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गयीः–

1. लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुमोदित व अनानुमोदित कर्मचारियों को जिनकों छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन भत्ते व आदि प्रदान किये जा रहे हैं को वेतन आयोग द्वारा जारी शासनादेश संख्या वे0आ0–2–3012/दस–62(एम)/2008 दिनांक 29.09.2010 के बिन्दु संख्या 04 के अन्तर्गत व उच्च शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश संख्या 36/सत्तर–4–2012 (8)/2012 दिनांक 24.02.2012 को दृष्टिगत रखते हुए कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.02.2013 के मद संख्या 10 में लिये गये निर्णय के क्रम 80 प्रतिशत लाभान्वित कर्मचारियों की भाँति शेष कर्मचारियों को भी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ अनुमन्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष सितम्बर 2001 के पूर्व कार्यरत दैनिक वेतन/मस्टर रोल कर्मचारियों को नियत वेतन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पूर्व में जारी शासनादेश के आलोक में शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत अनानुमोदित कर्मचारियों को रिक्त 280 पदों के सापेक्ष समायोजित किये जाने के प्रस्ताव को शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्य परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 20.03.2015 को शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।
4. अनानुमोदित कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सेवायोजन किये जाने पर वित्त समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
5. वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 के बिन्दू संख्या 03 पर लिये गये निर्णय के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अश्रितों को निःशुल्क सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया जाना।

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से यह जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि यह सुविधा क्या अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में दी जा रही है या नहीं, अगर दी जा रही है तो राज्य विश्वविद्यालयों से जुलाई 2015 से पूर्व आख्या प्राप्त करके तदनुसार उक्त प्रकरण आगामी वित्त

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त आगामी कार्य परिषद की बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्यों हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय/पारिश्रमिक की दरों में वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 07.07.2011 के बिन्दु संख्या 02 (ख) में अनुमोदित व्यवस्था को संज्ञान में लाया गया जो निम्नवत् हैः–

शिक्षकों को परीक्षा सम्बन्धी मानदेय रु0 60/– से बढ़ाकर रु0 90/ किये जाने तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पारिश्रमिक/वास्तविक मार्ग व्यय रु0 40/– से बढ़ाकर रु0 60/– तथा रु0 30/– से रु0 45/– किये जाने के प्रस्ताव को लखनऊ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में समान रूप से लागू किये जाने के वित्त समिति की संस्तुति को अनुमोदित किया जाना।

<u>कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</u>

<u>मद संख्या 01</u>– परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 15.12.2014, 09.01.2015 एवं 05.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।

<u>दिनांक 09.01.2015 तथा 05.02.2015 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी एवं दिनांक 15.12.2014 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के कार्यवृत्त को निम्न संशोधन के साथ सम्पुष्टि की गयी</u>

<u>मद संख्या 05:</u> परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम 1973, यथा संशोधित (1599) के अन्तर्गत प्रो0 दिनेश शर्मा को दिनांक 01.11.2014 से 30.04.2015 तक का वेतनरहित असाधारण अवकाश प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह द्वारा उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित "सहर्ष" शब्द पर आपत्ति जतायी और सहर्ष शब्द न लगाया जाय।

<u>दिनांक 15.12.2014 की कार्यवृत्त के मद संख्या 05 में माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह का नाम विलोपित समझा जाय।</u>

<u>मद संख्या 11–(क)</u> कार्य परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत डॉ0 आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड, लखनऊ को बी0लिब0 (बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस) को अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2015–16 से एक सेक्शन सहित प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा यह निर्देश दिये कि उक्त महाविद्यालय के लैब में प्रयुक्त सामग्रियों को क्रय करने से सम्बन्धित बिल बाउचर मूल रूप से उपलब्ध करा लिये जाय जिसका भौतिक सत्यापन कुलसचिव महोदय द्वारा किये जाने के उपरान्त परिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

<u>दिनांक 15.12.2014 की कार्यवृत्त के मद संख्या 11(क) को स्थगित रखा जाय।</u>

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

मद संख्या 18—कला एवं शिल्प महाविद्यालय में कार्यरत इन्सट्रक्टर्स का प्रकरण विधिक राय प्राप्त करने के उपरान्त विद्या परिषद की बैठक दिनांक 11.12.2014 को पद एवं प्रवक्ता वेतनमान देने हेतु रखा गया। विद्या परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त प्रवक्ता/वेतनमान का प्रस्ताव निरस्त कर दिया।

इसी बिन्दु पर उपरोक्त इन्सट्रक्टर्स को 14 वर्ष की सेवा के उपरान्त शासनादेशों में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत वेतनवृद्धि दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी। कार्य परिषद ने विद्या परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा कि प्रवक्ता पदनाम/वेतनमान दिया जाना सम्भव नहीं है।

दिनांक 15.12.2014 की कार्यवृत्त के मद संख्या 18 में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में इन्सट्रक्टरों को दिये गये लाभ के अनुरूप यदि अन्य इन्सट्रक्टर भी लाभान्वित होने की योग्यता रखते हैं तो पूर्व में जो प्रक्रिया अपनाई गयी थी उसी प्रक्रिया को अपनाया जाय।

मद संख्या 19: लखनऊ विश्वविद्यालय में कृषि संकाय को सम्मिलित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षित करते हुए यह बताया गया कि जिस महाविद्यालय में कृषि पाठ्क्रम को संचालित किया जा रहा है उनके पास कोई स्थायी संकाय नहीं है न ही कोई नियमित शिक्षक है जिससे नियमों के अनुकूल कृषि संकाय बना पाना संभव नहीं है। जिस पर माननीय सदस्य श्री आर0सी0 त्रिपाठी द्वारा यह पूछा गया कि कृषि महाविद्यालय की सम्बद्धता कहां से दी गयी है यदि लखनऊ विश्वविद्यालय से दी गयी है तो उनके सभी Infrastructural requirement का परीक्षण करा लिया जाय जिसपर माननीय सदस्य एस0पी0 सिंह, प्राचार्य, नेशनल पी0जी0 कॉलेज द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासन द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट निर्देश हैं कि महाविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों इन्हीं के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय को परिनियमावली की धारा 07 (B) में जोड़ा जाना है। कार्य परिषद ने यह निर्देश दिये कि सभी अवस्थापना सम्बन्धी मानकों के सत्यापन के साथ-साथ महाविद्यालय से सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी जांच भी करा ली जाय। तदोपरान्त उक्त प्रकरण को कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

दिनांक 15.12.2014 की कार्यवृत्त के मद संख्या 19 में कृषि संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय में ही खोले जाने का निर्णय लिया गया एवं माननीय प्रतिकुलपति महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

मद संख्या 11—(ख) कार्य परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत डॉ0 आशा स्मृति महाविद्यालय, देवा रोड, लखनऊ को बी0एड0 पाठ्यक्रम को सत्र 2015—16 से स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देश दिये कि इनके मानक को पुनः जाचोंपरान्त तथा महाविद्यालय में

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का फोटोग्राफ तथा वेतन सूची सम्बन्धी समस्त दस्तावेज मूल रूप से उपलब्ध करा लिया जाय एवं वेतन आहरण चेक द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं इस पर कार्यालय द्वारा सत्यापन करा लिया जाय। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त प्रकरण परिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलसचिव ने उक्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का फोटोग्राफ तथा वेतन सूची सम्बन्धी समस्त दस्तावेज देख करके सत्यापित किया है। कार्य परिषद ने आशास्मृति कालेज को स्थायी सहयुक्तता हेतु अनुमोदन प्रदान किया, एवं यह भी निर्णय लिया गया कि सहयुक्तता की प्रति संकायध्यक्ष, कला संकाय को भी उपलब्ध करायी जाय ।

दिनांक 26.03.2015 के कार्यसूची पर अनुमोदन

मद संख्या 02 –परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्रः 2015–16 के वित्त समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

मद संख्या 03– परिषद द्वारा दिनांक 04.02.2015 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।

परिषद द्वारा सम्पुष्टि की गयी

मद संख्या 04– परिषद द्वारा दिनांक 04.02.2015 की सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 05 जो प्राच्य अरबी फारसी छात्र/छात्राओं एवं प्राच्य संस्कृत शिक्षा के छात्र/छात्राओं से प्रवेश व शिक्षण शुल्कादि में सत्र 2014 – 15 से लिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा अपने विशेषाधिकार 13(06) का प्रयोग करते हुए अनुमोदन प्रदान किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

मद संख्या 05– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत दो शिक्षक सुश्री सुरनि यादव एवं श्री पिन्टू जार्डर, सहायक आचार्य (संविदा) के दिनांक 27.02.2015 से 1 वर्ष के लिए पूर्व शर्तों के अधीन सेवा विस्तार सम्बन्धित प्रकरण को परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

मद संख्या 06– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रो0 राकेश कुमार, अर्थशास्त्र विभाग, को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–31(03)(बी) के अधीन प्रवक्ता, अर्थशास्त्र के पद पर दिनांक 21.05.1989 को स्थायीकरण होने के उपरान्त दिनांक 15.01.2015 से 14.01.2016 तक (एक वर्ष) का **Sabbatical Leave** को कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

मद संख्या 07– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो डॉ0 सैय्यद गुलाम नबी अहमद, सहायक आचार्य, फारसी विभाग, को I.K. International in Qazvin, Iran में Persian Teacher "Refresher Course" को 04 माह का कोर्स करने हेतु दिनांक 11.01.2015 से 20.05.2015 तक का **Study Leave** पूर्ण वेतन पर सम्बन्धित प्रस्ताव को कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

मद संख्या 08 : परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय के आय–व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

मद संख्या 09– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत असिस्टेन्ट प्रोफेसर डॉ0 राजेश कुमार गौतम (संविदा) पर रु0 25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन पर कार्यरत का सेवाविस्तार दिनांक 02 मार्च 2015 से एक वर्ष हेतु पूर्व शर्तो के अधीन सेवा विस्तार पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

मद संख्या 10 (क) – परिषद द्वारा कॉलेज ऑफ इनोवेटिव मैनेजमेन्ट, गोमतीनगर में पूर्व से संचालित स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम की सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सहयुक्तता का विस्तरण प्रदान किये जाने पर विचार।

कॉलेज ऑफ इनोवेटिव मैनेजमेन्ट, गोमतीनगर में पूर्व से संचालित स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम की सत्र 2015–16 को एक वर्ष के लिए अस्थायी सहुक्तता के विस्तरण का अनुमोदन दिया।

मद संखया 10 (ख) – परिषद द्वारा वारसी विधि महाविद्यालय, ग्राम – दशहरी, काकोरी में पूर्व से संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सहयुक्तता का विस्तरण प्रदान किये जाने पर विचार।

वारसी विधि महाविद्यालय, ग्राम – दशहरी, काकोरी में पूर्व से संचालित विधि पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सहयुक्तता का विस्तरण एक वर्ष हेतु अनुमोदित किया।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

मद संख्या 10 (ग) – परिषद द्वारा कैरियर डिग्री कॉलेज, काकोरी में पूर्व से संचालित बी0बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों को सत्र 2015–16 से अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने पर विचार।

कैरियर डिग्री कॉलेज, काकोरी में पूर्व से संचालित बी0बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों को सत्र 2015–16 से अस्थायी सहयुक्तता हेतु एक वर्ष का विस्तरण किया।

मद संख्या 11 –परिषद द्वारा परीक्षा फल सूचना संख्या रिसर्च/12/2014 दिनांक 31.12.2014 एवं रिसर्च/01/2015 दिनांक 05.02.2015 तथा रिसर्च/02/2015 दिनाँक 04.03.2015 के अनुसार पी–एच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

मद संख्या 12 –लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रांक वी0सी0/1939/2014 दिनांक 30.09.2014 के प्रस्ताव जो विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 968/सत्तर–2–2013–16(99) दिनांक 30.05.2013 के प्राविधानों को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में समावेशित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 50(04) के अधीन महामहिम कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाना।

कार्य परिषद ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित किया।

मद संख्या 13 – डॉ0 चाँदकीराम गौतम, सहायक आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग को दिनांक 04.09.2014 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के मद संख्या 04 द्वारा 01.10.2014 से 30.09.2015 तक Study leave स्वीकृत होने के उपरान्त डॉ0 गौतम द्वारा पुनः अनुरोध करने पर दिनांक 01.10.2014 से 30.09.2015 के स्थान पर 10.10.2014 से दिनांक 09.10.2015 तक Study leave स्वीकृत किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव तथा यू0एस0ए0 से भारत आने के लिए दिनांक 10.10.2015 से 12.10.2015 तक Earn Leave स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रस्ताव परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यथावत् परिषद ने अनुमोदित किया।

मद संख्या 14 – कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो श्री वीर बहादुर, लैब वियरर, गणित विभाग को वर्ष 2012 में पैरालाइसिस हो जाने के कारण कार्यालय कार्य करने में असमर्थ हैं जन्म तिथि 26 सितम्बर 1956 है जिसके अनुसार श्री वीर बहादुर 30 सितम्बर 2016 में सेवानिवृत्त होंगे चूँकि अवकाश खाते में अवकाश शेष न होने के कारण अवैतनिक अवकाश पर चल रहे श्री वीर बहादुर द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रसतुत प्रार्थना पत्र के क्रम में श्री वीर बहादुर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

मद संख्या 15 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वर्ष 2015 हेतु सार्वजनिक एवं निर्बन्धित अवकाश परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु वर्ष 2015 हेतु सार्वजनिक एवं निर्बन्धित अवकाश की सूची में 14.04.2015 का अवकाश रहने का अनुमोदन प्रदान किया एवं सूची में जोड़ लिया जाय।

मद संख्या 16 –परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारी श्री दशरथ सिंह, दफ्तरी के मृत्योपरान्त उनके पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश को 1994 (यथा संशोधित) मृतक आश्रित नियमावली 1994 के अन्तर्गत कुलसचिव कार्यालय में रिक्त नैत्यिक लिपिक पद पर वेतन बैन्ड रू0 5200 – 20200 तथा ग्रेड वेतन रु0 1900 एवं अनुमन्य भत्तों के साथ माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त अस्थायी नियुक्ति शर्तों के अधीन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

यथावत् अनुमोदित किया।

मद संख्या 17 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारी श्री बी0के0 सिंह एवं श्री जमुना प्रसाद के मृत्योपरान्त 1994 (यथा संशोधित) मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत उनके आश्रितों को शैक्षिक अर्हता एवं शासनादेश के अन्तर्गत क्रमशः राजीव कुमार सिंह पुत्र श्री बी0के0 सिंह रु 5200 – 20200 ग्रेड पे 1800 तथा श्री मुकेश पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद रु0 5200 – 20200 ग्रेड पे 1800/– पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त की गयी नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

यथावत् अनुमोदित किया।

मद संख्या 18 (क) – कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 15.12.2014 तथा आकस्मिक बैठक दिनांक 09.01.2015 एवं 05.02.2015 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से परिषद को अवगत कराया जाना।

कार्य परिषद कृत कार्यवाही से अवगत हुई

पूरक कार्यसूची का कार्यवृत्त

मद संख्या – 18 (ख) : व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग की पात्रता परीक्षण समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 25.03.2015 पर निम्नलिखित अभ्यार्थियों के चयन पर विचार कर अनुमोदन प्रदान किया गया :–

1. Dr. Archana Singh, Associate Professor in Applied Economics has Promoted as Professor of Applied Economics under Career Advancement Scheme (Old rules).

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

2. Dr. Rachana Mujju, Associate Professor in Applied Economics has Promoted as Professor of Applied Economics under Career Advancement Scheme (Old rules).

3. Dr. V.K. Goswami, Associate Professor in Applied Economics has Promoted as Professor (Stage 5) of Applied Economics under Career Advancement Scheme (New rule).

4. Dr. Anoop Kumar Singh, Assistant Professor in Applied Economics allowed next higher grade of Assistant Professor (stage 3) in Applied Economics under Career Advancement Scheme.

5. Dr. Bimal Jaiswal, Assistant Professor in Applied Economics allowed next higher grade of Assistant Professor (stage 3) in Applied Economics under Career Advancement Scheme.

<u>मद संख्या 19 –</u> कार्य परिषद सदस्य, श्री आर0सी0 त्रिपाठी के पत्र संख्या शून्य दिनांक 25.12.2014 तथा कार्य परिषद सदस्या, सूश्री परवीन तलहा के पत्र संख्या शून्य दिनांक 26.12.2014 पर परिषद द्वारा विचार किया जाना।

<u>दिनांक 15.12.2014 की कार्यवृत्त के मद संख्या 18 में संशोधन के साथ निर्णय लिया गया</u>

<u>मद संख्या 20 –</u> परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 28.10.2014 के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 793/79–वी–1–13–2(क)9–2013 दिनांक 24.10.2013 द्वारा प्राविधानित अंश को कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

<u>अनुमोदित किया गया</u>

<u>मद संख्या 21 –</u> प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 1 के पत्र संख्या 14/सत्तर–1–2015–16(1)/2012 दिनांक 24.02.2015 जो विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर (समूह ग एवं समूह घ) कर्मचारियों की अर्हता एवं सेवा शर्तों में संशोधन परिनियमों में यथारथान प्रतिस्थापित किये जाने के उपरान्त परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाने पर विचार।

<u>कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया</u>

<u>मद संख्या 22 –</u> कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जिसमें संकायाध्यक्ष, कला संकाय एवं विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 27.02.2015 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 8626 एवं 8630 दिनांक 26.02.2014 द्वारा स्ववित्तपाषित योजनान्तर्गत संविदा पर की गई नियुक्ति डॉ0 मीरा सिंह एवं डॉ0 सोनिया आनन्द, गृह विज्ञान विभाग को पूर्व शर्तों के आधीन क्रमशः दिनांक 26.02.2015 एवं 19.03.2015 से एक वर्ष तक सेवा विस्तारित किये जाने हेतु परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>परिषद द्वारा उपरोक्त पर एक वर्ष के लिए सेवाविस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान किया</u>

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

मद संख्या 23 – उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1121/सत्तर–4–2013 दिनांक 31.10.2013 के सन्दर्भ में वेतन समिति के ग्यारहवें प्रत्यावेदन के माध्यम से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वन हेतु परिषद के सम्मुख सूचनार्थ प्रस्तुत (विवरण निम्नवत् है):–

क्रम सं0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया
1.	कनिष्ठ सहायक	रु0 5200–20200 एवं रु0 2000	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा "सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र" तथा हिन्दी/अंग्रजी में कम से कम क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाईस्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों।
2.	वरिष्ठ सहायक	रु0 5200–20200 एवं रु0 2800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा – 05 वर्षों की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।
3.	प्रधान सहायक	रु0 9300–34800 एवं रु0 4200	वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति द्वारा।
4.	प्रशासनिक अधिकारी	रु0 9300–34800 एवं रु0 4600	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्षों की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रु0 9300–34800 एवं रु0 4800	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्षों की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से।
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रु0 15600–39100 एवं रु0 5400	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–03 वर्षों की सेवा वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा 06 वर्ष की सेवा वाले प्रशासनिक अधिकारी के पदों से ।

<u>कार्य परिषद अवगत हुई एवं अनुमोदित किया।</u>

मद संख्या 24 – परिषद द्वारा आर0डी0एस0जे0 विधि महाविद्यालय, रहीमाबाद, लखनऊ में पूर्व से संचालित विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2015–16 से हेतु विस्तारित किये जाने हेतु परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

<u>कार्य परिषद ने आर0डी0एस0जे0 विधि महाविद्यालय, रहीमाबाद, लखनऊ में पूर्व से संचालित विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों को सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सहयुक्तता विस्तारित किया।</u>

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

मद संख्या 25 – दिनांक 24.03.2015 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कृपया मद संख्या 02 पर उल्लिखित है

मद संख्या 26 – अनानुमोदित मृतक आश्रितों को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सेवायोजन किये जाने हेतु परिषद के सम्मुख सूचनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरानत अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किये जाने के उपरान्त बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(राम कुमार)
कुलसचिव/सचिव

(डॉ० एस०बी० निमसे)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner